

राष्ट्रीय औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार,

रियाडा भवन, मेन रोड, राँची।

पृष्ठ 7

पत्रांक - 577

प्रेषक

राहुल शर्मा, भा.पु.से.०
प्रबंध निदेशक।

दिनांक 31-3-2008

सेवा में

श्री विरेन्द्र कुमार लूधरा ॥ प्रबंध निदेशक ॥
सर्वश्री वाईट न्यूयन साईन प्रा.प्रा.०,
35, कोकर औद्योगिक क्षेत्र, राँची

विषय :- कोकर औद्योगिक क्षेत्र/प्रांगण में भूमि/छावनी/कमरा/दुकान के
आवंटन के प्रस्ताव की सूचना।

महाराज,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र दिनांक 27/6/2008 के संबंध में आपको सूचित
किया जाता है कि कोकर औद्योगिक क्षेत्र/प्रांगण में सर्वश्री वाईट न्यूयन साईन
प्रा.प्रा.०, नामक इकाई जिसके आप
स्वामी/भागीदार/निदेशक/संविद्ध है, को "न्यूयन साईन, ग्लो साईन, होटिंग एण्ड अदर साइनेजेज,"
स्थापना करने के लिए भूमि/छावनी/कमरा/दुकान (भूखण्ड/छावनी सं. 35)
आवंटन की तिथि से 30 वर्ष के लिये पट्टे पर निम्नांकित शर्तों पर आवंटित किये जाने का प्रस्ताव
दिया जाता है।

- 1) भूमि/छावनी की सलामी
क) भूमि की सलामी 40,98,600/- रुपये प्रति एकड़ की तदर्थ दर से 8,64,225/-
रुपये।
ख) छावनी की सलामी x रुपये प्रति छावनी की दर से x
रुपये।
- 2) भूमि/छावनी की सलामी का अंतिम निर्धारण भूमि के विकास का वास्तविक खर्च मालूम होने
पर भू-अर्जन की राशि में वृद्धि होने पर, पूनर्वास में लागत होने पर सरकार द्वारा भूमि के दाम
संबंधी अन्य वस्तुओं पर नीति निर्धारण के फलस्वरूप, के आधार पर किया जायेगा।
- 3) तदर्थ सलागी तथा अंतिम रूप से निर्धारण करने में जो अंतर होगा वह इकाई द्वारा देय होगा।
जिसका भूगतान इकाई को प्राधिकार के सूचना प्राप्त होने के एक महीने के अंदर करना होगा
और इकाई को इस आशय का एकरार पत्र भी लिख देना होगा।
- 4) क) आपके द्वारा दी गयी मौखिक सहमति एवं सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों
आलोक में किये गये अंकलन के अनुसार उपर्युक्त तदर्थ सलामी के विरुद्ध प्रारंभिक भुगतान
8,64,225/- रुपये किया जाना है। शेष राशि x रुपये का भुगतान
वार्षिक किस्तों में किया जाना है। प्रत्येक किस्त x रुपये का होगा। द्वितीय
किस्त का भुगतान 01.04.200 को देय होगा। इसके बाद शेष किस्तों का भुगतान अगले वर्षों
को इसी तिथि को देय होगा।

- 5 क) निर्धारित समय में विधिवत किस्त भुगतान नहीं होने पर 15% या तत्कालीन बैंक सूद की दर से जो भी अधिक होगा इकाई को सूद के रूप में देना होगा। बकाये की वसूली पब्लिक डिमाण्ड के रूप में बिहार एण्ड उड़ीसा पब्लिक रिकभरी एक्ट के अन्तर्गत की जा सकती है।
- ख) लगातार दो किस्तों का भुगतान नहीं करने पर आवंटन रद्द कर दिया जायेगा एवं आवंटन के नवीकरण हेतु आपको आवेदन देने पर अद्यतन दरों पर ही किये जाने पर प्राधिकार द्वारा विचार किया जा सकता है।
- 6) किस्तों पर भूमि लेने के लिये इकाई को लिखित रूप में एकरारनामा करना होगा। जबतक किस्तों का भुगतान इकाई द्वारा नहीं हो जायेगा भूमि प्राधिकार के पास बंधक रहेगा।
- 7) क) भूमि के संलामी इत्यादि जिसका विवरण उपरोक्त में किया गया है उसके अतिरिक्त इकाई को प्रति वर्ष 3000/- रुपये प्रति एकड़ की दर से अर्थात् 633/- रुपये लगान प्रत्येक 31 मार्च के पहले प्राधिकार कार्यालय में जमा करना होगा। चार वर्षों के बाद लगान दो गुणा हो जायेगा। प्रत्येक 10 वर्ष पर इस लगान का पुर्नावलोकन किया जा सकता है।
- ख) उपर्युक्त लगान के अतिरिक्त रख-रखाव व्यय 50/- (पाँच हजार) एकड़ प्रति वर्ष की दर से 1055/- रुपये प्रति वर्ष आवंटन की तिथि से दो वर्ष बाद या उत्पादन की तिथि से जो पहले हो भी देय होगा।
- 8) इकाई को नियोजन तथा व्यवहारिक प्रशिक्षण में कारखाना के क्षेत्र में स्थानीय जनता को प्राथमिकता देनी होगी।
- 9) इकाई को भूमि का स्वामित्व लेने के लिये वित्तीय, मशीनों एवं उपकरण तथा कच्चे मालों को संतोषजनक व्यवस्था पूर्ण विवरण प्रमाण सहित प्राधिकार को समर्पित करना होगा।
- 10) आवंटी आवंटन की तिथि से एक माह के भीतर बंध पत्र लिखकर भूमि का कब्जा ले लेगा।
- 11) भूमि के स्वामित्व के तीन माह के अन्तर्गत प्राधिकार से कारखाना के कर्मशाला के नक्शे का अनुमोदन करा लेना होगा। भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य बिना पूर्व अनुमोदन के अनियमित होगा।
- 12) आवंटित भू-खण्ड का उपयोग स्वीकृत योजना के अनुरूप उद्योग स्थापना एवं चलाने के अतिरिक्त अन्य किसी कार्यों में नहीं करना होगा।
- 13) आवंटन आदेश के निर्गत की तिथि से एक पखवारे के अन्दर झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के संबंधित स्थानीय कार्यालय में 'साइट किलयरेंस' एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.) हेतु पर्षद के विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र अवश्य जगा कर देना होगा एवं वांछित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेना होगा।

- 14) भूमि स्वामित्व की तिथि से 6 महीने के अन्दर इकाई को उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर देना होगा। योजना के कार्यान्वयन करने की दिशा में ठोस प्रगति नहीं दिखाने पर भूमि का आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।
- 15) आवंटन की तिथि से आवंटित भूमि/छावनी का एक वर्ष के अन्दर पट्टा प्राधिकार से अनुमोदित कराकर लिख देना होगा तथा इसका निबंधन भी समुचित पदाधिकारी के सम्मुख करना होगा, जिसका खर्च इकाई वहन करेगी। यह नहीं करने पर आवंटन रद्द कर दिया जा सकता है।
- 16) यदि इकाई कोई कम्पनी है तो उसका निबंधन कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत झारखण्ड में करा लेना आवश्यक है। यदि भूमि आवंटन के समय निबंधन नहीं कराया गया तो इस आदेश निर्गत होने की तिथि से दो महीने के अन्दर निबंधन करा लेना आवश्यक है अन्यथा दो महीने की अवधि के बाद आवंटन रद्द समझा जायेगा।
- 17) इकाई का कन्स्ट्रिक्शुन जैसे साझेदारी, प्राईवेट कम्पनी आदि बदलने के पूर्व आवंटी को प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त करना होगा। अगर इकाई का भूखण्ड सत्वाधिकारी के रूप में हुई तो साझेदारी अथवा प्राईवेट लि. कम्पनी में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसके लिये इकाई को प्राधिकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना होगा।
- 18) आवंटी द्वारा आवंटन की सभी या एक भी शर्तों के उल्लंघन करने पर प्रबंध निदेशक, राँची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार को यह अधिकार होगा कि आवंटी को बिना कोई मुआवजा दिये हुए उनके द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति एवं चुकाये गये तदर्थ रालागी, लगान आदि के किस्तों की राशि को जब्त कर नये आवंटियों के साथ आवंटन संबंधी औपचारिकतायें पूरी करे तथा कथित भूमि उन्हें आवंटित कर दी जाय तथा इस हालत में पहले का पट्टा यदि जमा किया गया हो तो समाप्त समझा जायेगा।
- 19) इस औद्योगिक क्षेत्र/प्रांगण की भू-अर्जन के फलस्वरूप हुए विस्थापित व्यक्तियों को अपने औद्योगिक इकाई में प्राथमिकता के आधार पर आवंटी को नियोजन प्रदान करना होगा।
- 20) क) निश्चित अवधि के भीतर यदि उद्योग स्थापित करने के लिये आवश्यक प्रभावकारी कार्रवाई नहीं की जाती है तो वैसी स्थिति में प्राधिकार आवंटित प्लॉट/शेड का आवंटन रद्द कर देगा और इस सम्बन्ध में जमा की गई राशि को भी जब्त कर लेगा, आवंटन रद्द करने के पूर्व प्राधिकार आवंटी को अपने पक्ष प्रस्तुत करने के लिये एक गहीना का सगय देगा। प्राधिकार के आदेश से असंतुष्ट होने पर आवंटी राज्य सरकार के पास एक महीना के अंदर अपील दायर कर सकेगा, जिसे राज्य सरकार अपील प्राप्त होने के दो गहीना के अंदर विचार कर निष्पादित कर देगी।
- ख) प्लाट/शेड का आवंटन रद्द किये जाने के पश्चात प्राधिकार उक्त प्लाट/शेड का दखल-कब्जा ले लेगा।
- 21) आवंटित भूमि का आवारसीय उपयोग आपने द्वारा नहीं किया जायेगा।

22) इस आवंटन के प्रस्ताव की सूचना के निर्गत की तिथि के एक माह के भीतर आवंटन की शर्तों की स्वीकृति स्पष्ट रूप से लिख कर देनी होगी तथा काडिका-4 में वांछित प्रारम्भिक राशि जमा कर देनी होगी। यदि एक माह के अंदर इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं प्राप्त होगी तो आवंटन प्रस्ताव स्वतः रद्द समझा जायेगा और जमानत एवं आवेदन फीस का रूपया जप्त हो जायेगा तथा आपका आवेदन पत्र बंद कर दिया जायेगा।

23) उपर्युक्त प्रस्ताव पर आपकी सहमति एवं प्रारम्भिक राशि जमा करने के उपरान्त औपचारिक आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा एवं एकरारनामा की प्रति अग्रसारित की जायेगी। प्राधिकार द्वारा आवंटन आदेश निर्गत किये जाने के बाद ही आपके द्वारा दी गयी प्राधिकार के प्रस्ताव पर स्वीकृति/सहमति पूर्ण मानी जायेगी। सम्प्रति यह पत्र केवल मात्र प्रस्ताव पत्र है एवं इसमें लिखे हुए किसी भी विषय या तथ्य से प्राधिकार बंधा हुआ नहीं है।

24) एकरारनामा के कार्यान्वयन के बाद ही आवंटित भूमि/छावनी/कमरा/दुकान का प्रभार सौंपने का आदेश दिया जायेगा।

25) पूव आवंटनी सर्वश्री छोटानागपुर बेल्ट फास्टनर्स इन्डस्ट्रीज पर कुल बकाए राशि ₹0 4492=46 का भुगतान भी भूमि मूल्य के साथ किया जाना है। साथ ही अन्य कोई बकाया का भुगतान भी आपके द्वारा ही किया जाना है।

विश्वास भाजन,

प्रबंध निदेशक

31/03/18